क्रमांक/ 461 /नामांकन/परीक्षा/2010–11 भोपाल, दिनांक 18.6.2010

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष, यू.टी.डी./प्रभारी अध्ययन संस्था
मा.च.रा.प.एवं.सं. विश्वविद्यालय
भोपाल (म.प्र.)

जुलाई, 2010 सत्र के नामांकन (Enrolment) /रजिस्ट्रेशन के संबंध में अधिसूचना।

सत्र् जुलाई, 2010 में विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सभी छात्र/छात्राओं के फार्म संबंधित अध्ययन संस्था/यू.टी.डी. द्वारा एम.पी. ऑनलाइन लि. के माध्यम से ऑनलाइन भरे जावेंगे। यू.टी.डी./अध्ययन संस्था को अनिवार्यतः ऑनलाइन भरे गए (Paid) नामांकन/रजिस्ट्रेशन फार्म के प्रिन्ट के साथ निर्धारित प्रपत्र में भी नामांकन फार्म भी भरवा कर अभिप्रमाणित कर भेजना अनिवार्य है। नामांकन/रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रति अधिसूचना के साथ संलग्न है।

नामांकन (Enrolment)/ रजिस्ट्रेशन फार्म ऑनलाइन जमा करने और तदोपरान्त मैनुअल फार्म निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित करते समय कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दें/निर्देशों का पालन करें :–

1. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी अध्ययन संस्था तथा विश्वविद्यालय सभी शिक्षण विभागों में प्रवेशित **सभी छात्रों के नामांकन/रजिस्ट्रेशन फार्म केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा होंगे। नामांकन फार्म एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से भरे जावेंगे जिसका पोर्टल** (www.mponline.gov.in) **है।**
2. **नामांकन/रजिस्ट्रेशन फार्म भरने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2010 है। नामांकन/रजिस्ट्रेशन शुल्क भी केवल ऑनलाइन के माध्यम से 01.07.2010 से 15.09.2010 तक रात्रि 12 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा।** इसके पश्चात ऑनलाइन नामांकन फार्म जमा प्रक्रिया बंद हो जायेगी।
3. नामांकन/रजिस्ट्रेशन प्रपत्र (ऑनलाइन एवं मैनुअल) में वांछित सभी प्रविष्टियां स्पष्ट तथा सही सही भरी जायें और **कोई भी वर्ग रिक्त न छोड़ें। साथ ही छात्र का सही फोटो ही ऑनलाइन फार्म में अपलोड किया जाये, फार्म भरने के उपरांत ऑनलाइन पेमेन्ट करने (जमा करने) के पूर्व सभी प्रविष्टियां एवं फोटो पुनः चैक की जावे। नामांकन होने के उपरांत यदि नाम या फोटो में कोई त्रुटि पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में संशोधन के लिए हाई स्कूल और हायर सेकेण्ड्री की अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति और फोटो आई.डी. प्रस्तुत करना होगा।**
4. **ऑनलाइन नामांकन/रजिस्ट्रेशन फार्म जमा प्रक्रिया में केवल पेड (भुगतान हो चुके) फार्म ही जमा माने जायेगें। अनपेड फार्मो (जिनका ट्रांजेक्शन आई.डी. जनरेट नहीं हुआ हो) के संबंध में कोई आगामी कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा नहीं की जाएगी न ही नामांकन मान्य किया जाएगा।**
5. ऑनलाइन द्वारा जमा प्रत्येक नामांकन फार्म के प्रिन्टआउट के साथ मैनुअल नामांकन फार्म में विद्यार्थी की फोटो और पात्रता परीक्षण हेतु आवश्यक सभी प्रमाण पत्र/दस्तावेज जो राजपत्रित अधिकारी/नोटरी/सरपंच द्वारा सत्यापित (हस्ताक्षर एवं सील अंकित) हो को विश्वविद्यालय, नामांकन शाखा में अनिवार्यतः नियत तिथि तक भेजें। ध्यान रखें कि यदि छात्र का फार्म ऑनलाइन नहीं भरा गया (Payment Not Done) है तो मैनुअल नामांकन फार्म और पात्रता दस्तावेज मान्य नहीं होंगे और न ही छात्र का नामांकन किया जावेगा।
6. **विश्वविद्यालय में नामांकन फार्म मय पात्रता दस्तावेज पहुंचाने की अंतिम तारीख 20 सितंबर 2010 है। नियत तिथि तक फार्म और पात्रता दस्तावेज प्राप्त न होने पर नामांकन निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।**

7 वांछित पाठ्यक्रमों में नामांकन/रजिस्ट्रेशन हेतु **Govt./AIU/UGC** की मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अर्हताधारी परीक्षा का प्रमाण पत्र और अंकसूची तथा 10+2 की अंकसूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति नामांकन फार्म के साथ अनिवार्यतः संलग्न करें। फर्जी बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों की सूची UGC तथा AIU की बेवसाइट पर देखी जा सकती है ऐसी संस्थाओं से उत्तीर्ण छात्रों को कदापि प्रवेश न दें। विद्यार्थी द्वारा उत्तीर्ण किसी अन्य परीक्षा की समकक्षता विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित अर्हताधारी परीक्षा के समकक्ष प्रमाणित करने एवं आवश्यक अभिप्रमाणित दस्तावेज, अधिसूचना आदि प्रस्तुत करने का पूर्ण दायित्व अध्ययन संस्था प्रभारी एवं संबंधित छात्र का होगा तथापि विश्वविद्यालय द्वारा समकक्षता मान्य करने अथवा न करने तथा प्रवेश प्रदान करने/न करने के संबंध में निर्णय लिया जावेगा जो अंतिम होगा।

8. यदि किसी **छात्र के अध्ययन में कोई अंतराल (Gap) है, तो संबंधित अवधि को स्पष्ट करने हेतु स्टांप पेपर में शपथ–पत्र की मूल प्रति नामांकन फार्म के साथ संलग्न करें।**

9. स्थानांतरण प्रमाण–पत्र एवं विश्वविद्यालय/बोर्ड के माइग्रेशन प्रमाण–पत्र की मूल प्रति ही नामांकन फार्म के साथ संलग्न करें।

10. विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/अध्ययन संस्था विद्यार्थी को प्रवेश देते समय यह सुनिश्चित कर लेवें कि विद्यार्थी नामांकन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि को अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो। जो विद्यार्थी **सप्लीमेन्ट्री या बैकलॉग परीक्षा में उत्तीर्ण न हो उन्हें प्रवेश न दिया जाए।** नामांकन फार्म के साथ प्रस्तुत अर्हता परीक्षा की अंकसूची में छपी तिथि के आधार पर ही प्रवेश मान्य/अमान्य किया जावेगा।

11. नामांकन प्रपत्र में निर्दिष्ट स्थान पर संबंधित अभ्यर्थी का **सही** फोटो चस्पा किया जाए। फोटो के नीचे दिये गये स्थान पर संबंधित अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हों।

12. विभागाध्यक्ष/संस्था प्रभारी ऑनलाइन भरे गए नामांकन फार्म के प्रिन्ट के साथ **नामांकन/ रजिस्ट्रेशन फार्म को अग्रेषित एवं अभिप्रमाणित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रविष्टियां की गई हैं और यह भी कि प्रदत्त जानकारी एवं पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता की पुष्टि कर ली गई है तत्पश्चात् ही नामांकन/रजिस्ट्रेशन प्रपत्र में संस्था/विभाग का नाम, कोड क्रमांक, प्रभारी के हस्ताक्षर एवं सील के साथ नामांकन फार्म भेजें। विद्यार्थी की प्रवेश अर्हता पूर्ती के परीक्षण का पूर्ण दायित्व विभागाध्यक्ष/अध्ययन संस्था प्रभारी का होगा।**

13. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कृपया रेगूलेशन (Regulation) 18 में प्रावधानानुसार नामांकन एवं प्रवेश पृष्ठ 10–11 पर बिन्दु 5 (5.1 से 5.12) का अक्षरक्षः पालन सुनिश्चित करें।

14. एक बार छात्र का किसी पाठ्यक्रम में नामांकन फार्म ऑनलाइन जमा होने (Payment) के उपरांत किसी भी परिस्थिति में **पाठ्यक्रम परिवर्तन** मान्य नहीं किया जाएगा।

15. विश्वविद्यालय में नामांकन/रजिस्ट्रेशन आवेदन ऑनलाइन जमा करने के पश्चात् **नामांकन/ रजिस्ट्रेशन शुल्क वापस/समायोजित नहीं होगा।**

16. ऑनलाइन फार्म भरते समय **छात्र का नाम, माता/पिता, पति का नाम, अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों भाषाओं में भरे तथा स्थायी पता, दूरभाष आदि** को अवश्य भरें।

17. विद्यार्थी के नामांकन हेतु 10+2 की अंकसूची में मुद्रित नाम को ही विश्वविद्यालय द्वारा मान्य किया जाएगा। महिला विद्यार्थी के विवाहोपरान्त सरनेम परिवर्तन की दशा में स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र नामांकन फार्म के साथ संलग्न करें।

18. अध्ययन संस्थाओं का दायित्व है कि वे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों से ज्यादा प्रवेश न दें। निर्धारित सीट से ज्यादा नामांकन फार्म किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होंगे। सभी नामांकन फार्म, ऑनलाइन जनरेट नामांकन क्रमांक के **अनुक्रम** में जमाकर सूची के साथ भेजे जाएं।

19. यह भी सुनिश्चित करे कि नामांकन/रजिस्ट्रेशन प्रपत्र एवं ऑनलाइन भरे गए फार्म का प्रिन्ट वांछित दस्तावेज के साथ पृथक से बंद लिफाफे में सहायक कुलसचिव (नामांकन), माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, ई–8 त्रिलंगा नगर, शाहपुरा, पो.बा–आर.एस.एन–560, भोपाल– 462039 के नाम से ही भेजें तथा **लिफाफे पर नामांकन फार्म अवश्य अंकित करें।**

प्रतिलिपि–

परीक्षा नियंत्रक

1. परीक्षा नियंत्रक, मा.च.रा.प.एवं संचार वि.वि.
2. कुलसचिव, मा.च.रा.प.एवं संचार वि.वि.
3. परीक्षा शाखा, मा.च.रा.प.एवं संचार वि.वि.
4. गोपनीय शाखा, मा.च.रा.प.एवं संचार वि.वि.
5. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विभाग, मा.च.रा.प.एवं सं.वि.वि. भोपाल को वि.वि. की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6. सहा. कुलसचिव, अ.के. पंजीयन शाखा, मा.च.रा.प.एवं संचार वि.वि.
7. प्रमुख वाणिज्य विकास, एम.पी.ऑनलाइन लि. भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

संलग्न–

1. नामांकन/पंजीयन फार्म का प्रारूप
2. नामांकन/पंजीयन हेतु अर्हता बावत् फार्म के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची (Annex 'A')

परीक्षा नियंत्रक

Annex-'A'

नामांकन/पंजीयन आवेदन प्रपत्र के साथ संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वांच्छित आवश्यक दस्तावेज की जानकारी

मीडिया कोर्सेस (केवल जुलाई सत्र हेतु)		पाठ्यक्रम का कोड (Course Code)	पाठ्यक्रम की अवधि (Duration)	वांछित पात्रता अंकसूची / दस्तावेज(Required M.S./ Documents)
स.क्र.	पाठ्यक्रम का नाम			
1	मास्टर ऑफ जर्नलिज्म (M.J.)	105	2 वर्ष	10+2 with Graduation,Mig/Gap
2	मास्टर ऑफ आर्टस इन ब्रोडकास्ट जर्नलिज्म [M.A.(BJ)]	117	2 वर्ष	10+2 with Graduation,Mig/Gap
3	मास्टर ऑफ आर्टस इन एडवरटाईजिंग एण्ड पब्लिक रिलेशन्स [M.A. (APR)]	116	2 वर्ष	10+2 with Graduation,Mig/Gap
4	मास्टर ऑफ आर्टस इन मॉस कम्यूनिकेशन [M.A.(M.C.)]	118	2 वर्ष	10+2 with Graduation,Mig/Gap
5	मास्टर ऑफ आर्टस इन आडियो विजुअल कम्युनिकेशन [M.A.(AVC)]	128	2 वर्ष	10+2 with Graduation,Mig/Gap
6	मास्टर ऑफ आर्टस इन मार्केटिंग एण्ड मैनेजमेंट कम्युनिकेशन [M.A.(MMC)]	127	2 वर्ष	10+2 with Graduation,Mig/Gap
7	मास्टर ऑफ साइंस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया [M.Sc.(EM)]	123	2 वर्ष	10+2 with Graduation,Mig/Gap
8	बैचलर ऑफ जर्नलिज्म [B.J. (One Year)]	119	1 वर्ष	10+2 with Graduation,Mig/Gap
9	बैचलर ऑफ जर्नलिज्म [B.J. (Three Year)]	122	3 वर्ष	10+2 with Mig/Gap
10	बैचलर ऑफ आर्टस इन मॉस कम्यूनिकेशन [B.A. (M.C.)]	110	3 वर्ष	10+2 with Mig/Gap
11	बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इनफॉरमेशन साइंस [B.Lib. Sc.]	120	1 वर्ष	10+2 with Graduation,Mig/Gap
12	बैचलर ऑफ साइंस (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) [B.Sc. (EM)]	130	3 वर्ष	10+2 with Mig/Gap
13	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मीडिया [PGDM]	121	1 वर्ष	10+2 with Graduation, Gap
14	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजिटल वीडियोग्राफी [PGDDVG]	126	1 वर्ष	10+2 with Graduation, Gap
15	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइंस जर्नलिज्म [PGDSJ]	135	1 वर्ष	10+2 with Graduation, Gap

Cont............

Annex-'A'

कंप्यूटर एवं आई.टी. कोर्सेस (जुलाई एवं जनवरी सत्र हेतु)				
1	मास्टर ऑफ कम्प्यूटर साइंस (MCA.)	101	3 वर्ष	BCA / Graduation (Maths in 12th/Graduation) with Mig/Gap
2	मास्टर ऑफ साइंस (इनफॉरमेशन टेक्नौलॉजी) [M.Sc.(IT)]	103	2 वर्ष	10+2 with Graduation (B.E. B.Tech, B.I.T, BCA, B.Sc.(IT) B.Sc. (Computer) or Graduation with PGDCA/Mig/Gap
3	मास्टर ऑफ साइंस (कम्प्यूटर साइंस) [M.Sc.(CS)] / (B.P.)]	129	2 वर्ष	10+2 with Graduation, Mig/Gap
4	मास्टर ऑफ साइंस (कम्प्यूटर साइंस), लेअरल इंट्री [M.Sc.(C.S.) (LE)] (From July 2010)	990	1 वर्ष	10+2 with Graduation + PGDCA Mig/Gap
5	बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन [BCA]	014	3 वर्ष	*10+2 Mig/Gap
6	बैचलर ऑफ साइंस (इनफॉरमेशन टेक्नौलॉजी) [B.Sc.(IT)]	104	3 वर्ष	**10+2 with Maths, Mig/Gap
7	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन [PGDCA]	016	1 वर्ष	10+2 with Graduation
8	डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन [DCA]	017	1 वर्ष	10+2

* अधिसूचना क्र. अका./10/2210 दिनांक 22.05.2010 के अनुसार–

सत्र् जुलाई 2010 से बीसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता (10+2) अथवा उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होगी।

** नोटिफिकेशन क्र. अका/09/3445 दिनांक 18.08.2009 के अनुसार–

बीएससी (आई.टी.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता के लिए तकनीकी शिक्षा से मान्यता प्राप्त तीन वर्षीय पॉलीटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान की गई है, परंतु डिप्लोमा में उच्च गणित एक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा एवं इसके अभिप्रमाणन हेतु अध्ययन केन्द्र प्रभारी के माध्यम से छात्र को घोषणा करनी होगी।

परीक्षा नियंत्रक

नोट–

1. 10+2 से आशय नई शिक्षा प्रणाली से हायर सेकण्ड्री (10+2) उत्तीर्ण से है पुरानी पद्धती से 11वीं या हायर सेकेण्ड्री उत्तीर्ण छात्रों को 10+2 के समकक्ष नहीं माना जावेगा।

2. प्रवेश हेतु अर्हता अनुसार वांछित समस्त अंकसूचियों, प्रमाणपत्रों और अन्य दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियां नामांकन फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।